

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 65/2020

दायर दिनांक: 29.06.2020

उनवान

1. रामकरण आयु 85 वर्ष पुत्र धूलीलाल जाति मीना निवासी मूण्डला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. जगदीश आयु 40 वर्ष पुत्र परमानन्द जाति मीना निवासी मूण्डला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
2. रामनाथ आयु 75 वर्ष पुत्र धूलीलाल जाति मीना निवासी मूण्डला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. काली बाई आयु 65 वर्ष पत्नि स्व० रामलाल निवासी मूण्डला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
4. शाखा प्रबन्धक महोदय सेन्द्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
5. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज०

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

उपस्थिति :-

वादी :- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादी :- विद्वान अभिभाषक श्री हरिशचन्द्र हाडा प्रति. क्रम. 4

निर्णय

दिनांक 30/11/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 53 आर० टी० एक्ट० का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल मूण्डला बिसौति में खाता संख्या 204 का ख०न० 229 का रकबा 2.75 है०, ख०न० 230 का रकबा 0.04 है०, ख०न० 231 का रकबा 0.97 है०, ख०न० 402/883 का रकबा 0.10 है० कुल कित्ता 4 का रकबा 3.86 है० का इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.06.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार अटरू से दोनों पक्षों की उपस्थिति में हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र

क्रमांक/राजस्व/2022/2815 दिनांक 18.11.2022 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। जिससे अभिभाषक वादी सहमत है।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2022 अनुसार निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम एवं माल मूण्डला बिसौति में खाता संख्या 204 का ख0न0 229 का रकबा 2.75 है0, ख0न0 230 का रकबा 0.04 है0, ख0न0 231 का रकबा 0.97 है0, ख0न0 402/883 का रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 का रकबा 3.86 है0 भूमि का हिस्से व कब्जा काश्त अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

I. जगदीश पुत्र परमानन्द जाति मीणा के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख0न0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
मूण्डला बिसौती	जगदीश पुत्र परमानन्द जाति मीणा सा0 देह	229 द0प0	0.11 है0	माल-1	1.32
		किता 1	0.11 है0	-	1.32

II. रामकरण पुत्र धुलीलाल जाति मीणा के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख0न0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
मूण्डला बिसौती	रामकरण पुत्र धुलीलाल जाति मीणा सा0 देह, रहन सी0बी0आई0 बैंक शाखा अटरू	229 उत्तर 231 पूर्व 402/883 पूर्व	2.00 है0 0.75 है0 0.08 है0	माल-1 चाही 2 गै.मु.रास्ता	24.00 24.00 -
		किता 3	2.83 है0	-	48.00

III. रामनाथ पुत्र धुलीलाल जाति मीणा के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख0न0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
मूण्डला बिसौती	रामनाथ पुत्र धुलीलाल जाति मीणा सा0 देह, रहन सी0बी0आई0 बैंक शाखा अटरू 402/883 को छोडकर	229 द0 पूर्व 231 पश्चिम 402/883 पश्चिम पश्चिम	0.55 है0 0.19 है0 0.02 है0	माल-1 चाही 2 गै.मु.रास्ता	6.60 6.08 -
		किता 3	0.76 है0	-	12.68

IV. रामलाल पुत्र परमानन्द जाति मीणा के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:—

नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
मूण्डला बिसौती	रामलाल पुत्र परमानन्द जाति मीणा सा0 देह, मृतक पत्नि कालीबाई पत्नि रामलाल	229 द0प0मध्य	0.11 है0	माल-1	1.32
		किता 1	0.11 है0	—	1.32

V. जगदीश पुत्र परमानन्द 1/35, रामकरण पुत्र धूलीलाल हिस्सा 26/35, रामनाथ पुत्र धूलीलाल हिस्सा 1/5, रामलाल पुत्र परमानन्द हिस्सा 1/35 जाति मीणा के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:—

नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
मूण्डला बिसौती	जगदीश पुत्र परमानन्द 1/35, रामकरण पुत्र धूलीलाल हिस्सा 26/35, रामनाथ पुत्र धूलीलाल हिस्सा 1/5, रामलाल पुत्र परमानन्द हिस्सा 1/35 जाति मीणा सा. देह रहन रामकरण, रामनाथ का हिस्सा	230	0.04 है0	गै0मु0 चाह	—
		किता 1	0.04 है0	—	

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां

फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 65/2020

उनवान

1. रामकरण आयु 85 वर्ष पुत्र धूलीलाल जाति मीना निवासी मूण्डला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. जगदीश आयु 40 वर्ष पुत्र परमानन्द जाति मीना निवासी मूण्डला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

2. रामनाथ आयु 75 वर्ष पुत्र धूलीलाल जाति मीना निवासी मूण्डला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

3. काली बाई आयु 65 वर्ष पत्नि स्व0 रामलाल निवासी मूण्डला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

4. शाखा प्रबन्धक महोदय सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

5. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

उपस्थिति :-

वादी :- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादी :- विद्वान अभिभाषक श्री हरिशचन्द्र हाडा प्रति. कम. 4

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल मूण्डला बिसौती में खाता संख्या 204 का ख0न0 229 का रकबा 2.75 है0, ख0न0 230 का रकबा 0.04 है0, ख0न0 231 का रकबा 0.97 है0, ख0न0 402/883 का रकबा 0.10 है0 कुल कित्ता 4 का रकबा 3.86 है0 भूमि का हिस्से व कब्जा काश्त अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

I. जगदीश पुत्र परमानन्द जाति मीणा के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
मूण्डला बिसौती	जगदीश पुत्र परमानन्द जाति मीणा सा0 देह	229 द0प0	0.11 है0	माल-1	1.32
		कित्ता 1	0.11 है0	-	1.32

II. रामकरण पुत्र धुलीलाल जाति मीणा के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
मूण्डला बिसौती	रामकरण पुत्र धुलीलाल जाति मीणा सा0 देह, रहन सी0बी0आई0 बैंक शाखा अटरू	229 उत्तर 231 पूर्व 402/883 पूर्व	2.00 है0 0.75 है0 0.08 है0	माल-1 चाही 2 गै.मु.रास्ता	24.00 24.00 -
		कित्ता 3	2.83 है0	-	48.00

III. रामनाथ पुत्र धुलीलाल जाति मीणा के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
मूण्डला बिसौती	रामनाथ पुत्र धुलीलाल जाति मीणा सा0 देह, रहन सी0बी0आई0 बैंक शाखा अटरू 402/883 को छोडकर	229 द0 पूर्व	0.55 है0	माल-1	6.60
		231 पश्चिम	0.19 है0	चाही 2	6.08
		402/883 पश्चिम	0.02 है0	गै.मु.रास्ता	-
		किता 3	0.76 है0	-	12.68

IV. रामलाल पुत्र परमानन्द जाति मीणा के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
मूण्डला बिसौती	रामलाल पुत्र परमानन्द जाति मीणा सा0 देह, मृतक पत्नि कालीबाई पत्नि रामलाल	229 द0प0मध्य	0.11 है0	माल-1	1.32
		किता 1	0.11 है0	-	1.32

V. जगदीश पुत्र परमानन्द 1/35, रामकरण पुत्र धुलीलाल हिस्सा 26/35, रामनाथ पुत्र धुलीलाल हिस्सा 1/5, रामलाल पुत्र परमानन्द हिस्सा 1/35 जाति मीणा के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
मूण्डला बिसौती	जगदीश पुत्र परमानन्द 1/35, रामकरण पुत्र धुलीलाल हिस्सा 26/35, रामनाथ पुत्र धुलीलाल हिस्सा 1/5, रामलाल पुत्र परमानन्द हिस्सा 1/35 जाति मीणा सा. देह रहन रामकरण, रामनाथ का हिस्सा	230	0.04 है0	गै0मु0 चाह	-
		किता 1	0.04 है0	-	

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)  
उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....

..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.11.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)